दिल्ली/पीटीआई

अक्षमता तथा दिवाला संहिता तहत बैंकों की दबाव वाली कर्ज से निपटने को लेकर र्याप्त रूप से सशक्त बनाने के कल्पों पर विचार कर रही है। य के आदेश को देखते हुए उठा रही है। अपने आदेश में केंद्रीय बैंक के 12 फरवरी को खारिज कर दिया है। सूत्रों व वाली संपत्ति पर जारी 12 त्र से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति टने के संदर्भ में बैंकों के बीच है तथा अपनी समझ के हिसाब ी जो स्वतंत्रता थी, वह समाप्त

कि लेकिन परिपत्र थोड़ा सख्त इसका हिस्सा था। परिपत्र की समेत कई पक्षों ने काफी पिछले महीने उच्चतम न्यायालय कर दिया और इसे गैर-कानूनी र्व अदालत के आदेश के बाद ूक की स्थिति में आईबीसी के तहत मामले को हर हाल में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को भेजने की व्यवस्था अब उपलब्ध नहीं है। हालांकि बैंकिंग नियमन कानून की धारा 35 एए के तहत आरबीआई सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद किसी भी बैंक से फंसे कर्ज के मामले को एनसीएलटी को भेजने के लिये कह सकता है।

सूत्रों के अनुसार फंसे कर्ज से निपटने के लिये संतुलित रुख की जरूरत है। इसे बैंकों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता, कुछ नियामकीय निगरानी होनी चाहिए। उसने कहा कि नियामकीय रूपरेखा को मजबूत करने तथा बड़े एनपीए से निपटने के मामले में बैंकों को अपने विवेकाधिकार की अनुमति नहीं देने को ध्यान में रखकर बैंक नियमन कानून पर गौर किया जा रहा है।

रिजर्व बैंक के 12 फरवरी 2018 के परिपत्र में बैंकों के लिये यह अनिवार्य किया गया था कि अगर किसी फंसे कर्ज का समाधान 180 दिन के भीतर नहीं होता है, वे उसे दिवाला संहिता के तहत ऋण समाधान की कार्यवाही के लिये भेजे। यह प्रावधान उन खातों के लिये था, जहां बैंकों व वित्तीय संस्थाओं का वसूल नहीं हो रहा बकाया कम-से-कम 2,000 करोड़ रुपये हो।

इन शुल्कों को हटाए जाने के बाद अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा (यूएसएमसीए) करार के रास्ते की प्रमुख अड़चन हट गई है।

उत्तरी अमेरिका के 1,400 अरब डॉलर के व्यापार से 1.2 करोड़ अमेरिकियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बैठक में कहा, ''मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारा कनाडा और मेक्सिको के साथ करार हो गया है। हम इन देशों में अपने उत्पाद बिना शुल्क या बिना किसी बड़े शुल्क के बेच सकेंगे।'' ट्रंप ने इस करार को अमेरिका के लिए एक 'शानदार समझौता' बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिकी संसद जल्द यूएसएमसीए को मंजूरी दे देगी।

ट्रंप ने कहा कि उसके बाद हमारे किसान और विनिर्माता तथा इस्पात संयंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को और सफल बनाएंगे। इससे पहले ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत की।

जाना है। कंपनी ने एक नियामकीय सूचना में बीएसई को बताया कि कंपनी ने एक साल पहले 152.40 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया था।

जुबिलेंट लाइफ साइंसेज ने कहा कि तिमाही में उसका मुनाफा आईएफसी के साथ एकमुश्त ऋण के निपटान के चलते प्रभावित हुआ। 31 मार्च 2019 को समाप्त चौथी तिमाही के दौरान कंपनी की एकीकृत कुल आय 2,379 करोड़ रुपये की हुई जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 2,279.87 करोड़ रुपये थी। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज का कुल खर्च अधिक यानी 2,184.22 करोड़ रुपये था जो कि एक साल पहले की तिमाही में 2,048.31 करोड़ था।

जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के अध्यक्ष श्याम एस भरतिया तथा कंपनी के सह-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हरि एस भरतिया ने कहा, कंपनी ने तिमाही के दौरान अच्छा प्रदर्शन देखा है, जो कुछ एकमुश्त शुल्क निपटान से अव्यवस्थित हुआ।

कंपनी को 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2018-19 में, पिछले वित्तवर्ष के 634.42 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार 577.01 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा अर्जित हुआ। पिछले वित्त वर्ष के 7,597.84 करोड़ रुपये की कुल आय के मुकाबले इस वर्ष कंपनी की कुल आय 9,146.56 करोड़ रुपये की हुई। जुबिलेंट लाइफ साइंस को वित्त वर्ष 2015 में स्थिर प्रदर्शन की उम्मीद है।

एक से जारी...

है। पिछले चार सालों के दौरान से दोनों मॉडलों के माध्यम से फास हुआ है।

कार बताते हैं कि एचएएम द पड़ गया है, क्योंकि राजमार्ग लिए बैंक कर्ज देने में काफी हैं। एक प्राइवेट डेवलपर के , ''बैंकों को कई राजमार्ग लागत राशि पर यकीन नहीं हो क्षेत्र की जरूरतों की पूर्ति के देने को तैयार नहीं हैं। एचएएम निश्चित तौर पर डेवलपरों के का ध्यान रखा जाना चाहिए।''

के पार्टनर विश्वास उदगिरकर इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा ली रोड सेक्टर को बहुत मदद ।

हा, ''रोड सेक्टर में प्राइवेट लचस्पी सीमित है, क्योंकि में हैं और एनपीए काफी उच्च का है।'' वित्त वर्ष 2018 में 7,400 किलोमीटर की सड़क ी निविदा प्रदान की। अधिकांश र्ष में प्रदान की गईं। 2017-18 ोमीटर की एचएएम परियोनाएं वित्त वर्ष 2019 के आरंभ में 300 किलोमीटर सड़क योजना का अवार्ड एचएएम के माध्यम से किया।

25 वर्ष...

एसएमएस में भी नहीं थी, लेकिन हमने वह जांच मशीन मंगवाई ताकि मरीजों की जांच की सके। फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह मशीन सवाईमानसिंह अस्पताल में मंगवाने के निर्देश दिये, अस्पताल में यह मशीन चलाने के लिए जो लोग मुकर्रर किये गये, वे हमारे यहां से ही इसकी जांच सीख कर गये थे। उन्होंने यह भी बताया कि प्लेटलेट पैनरेसिस बनाने का काम भी हमारे ब्लड-बैंक को ही मिला हुआ है, इसके अलावा संबंधित कंपोनेंट बनाने का भी।

उनका कहना था कि रक्तदान को हमने एक मिशन के रूप में लिया और याद करते हैं तो जयपुर में केवल महावीर जयंती पर जैन समाज के लोग रक्तदान शिविर लगाते थे, पर हमने चूंकि बैंक बना लिया था, अतः तमाम समाजों, संगठनों आदि को प्रेरित किया कि वे अपने यहां रक्तदान शिविर लगवायें, राष्ट्रीय महापुरूषों के जन्मदिन पर शिविर लगवाने की प्रेरणा दी जाने लगी, यहां तक कि परिवारों में किसी का जन्म दिन या पुण्यतिथि हो तो रक्तदान को अपनाया जाने लगा।

वे कहते हैं कि कोई व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है, लेकिन ब्लड बैंक तक नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, हमारे यहां से वैन जाकर उसका रक्त लेकर आ सकती है। हमने कॉलेजों-विश्वविद्यालयों में रक्तदान को प्रमोट किया, खासकर महिला कॉलेजों में भी। महिलाओं को रक्तदान की मुहिम से जोड़ा और केवल महिलाओं की रैली भी कई बार रक्तदान को प्रौत्साहित करने के लिए निकाली गई। जो नवाचार इस क्षेत्र में किये, उसका काफी फायदा मिला और लोग रक्तदान के लाभ को समझने लगे हैं।

डा. अग्रवाल कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो रक्तदान एक तरह से वरदान की तरह है, वह इसलिए कि पुराना रक्त शरीर से निकलता है तो रक्त बनाने वाले आर्गन एक्टीवेट हो जाते हैं नया रक्त बनाने के लिए और शरीर में नया रक्त सृजित होता रहता है। तभी जो लोग नियमित रक्तदान करते हैं, उनके फेस का ग्लो आप देखिये, एकदम गुलाबी टच और फ्रैश फीलिंग्स आती है। रक्तदान करने वाला सुस्त या उदास नहीं रहता बल्कि तरो-ताजा महसूस करता है। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति छह महीने या एक वर्ष में एक बार रक्तदान अवश्य करे। डा. अग्रवाल कहते हैं कि हमारा ब्लड बैंक देश के प्रथम 10 ब्लड-बैंकों की सूची में शामिल है, यह हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। 25 वर्ष इस संस्थान के हो रहे हैं, इस मौके पर यही संदेश है कि अस्पतालों में जाकर रक्त के लिए इधर-उधर भाग रहे लोगों की व्यथा को समझिये, क्योंकि ब्लड-बैंक में यदि रक्त है तो निश्चित रूप से मिलता है और रक्त का प्रवाह जरूरतमंद मरीज की तरफ सतत बना रहे, यह सिलसिला चलते रहना चाहिये।

इरडा...

से बीमारियों को बाहर रखे जाने के संबंध में दिशा-निर्देश प्रस्तावित किया है।

इसमें कहा गया है कि बीमा लेने के बाद होने वाली किसी बीमारी को संबंधित चिकित्सा बीमा से बाहर नहीं रखा जाना चाहिये और बीमा के नियम एवं शर्तों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाना चाहिये।

श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L67120RJ1993PLC061489

पंजीकृत कार्यालय : बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान)

फोन व फैक्स: 0141-2554270, 0141-4034062

वेबसाईट: www.shrikalyan.com, ई-मेल: shrikalyan25@hotmail.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) रेग्यूलेशन 2015 के नियम 47 के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार 27 मई, 2019 को सायं 4.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान) में आयोजित की जा रही है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के साथ सम्पत्तियों व देनदारियों के स्टेटमेन्ट पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी और अंकेक्षक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया जायेगा। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट "www.shrikalyan.com" और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट "www.bseindia.com" पर भी उपलब्ध है।

वास्ते श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

हस्ता./-

नंदनी पाटीदार

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

स्थान: जयपुर

दिनांक : 18 मई, 2019